



राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (आर.ए.सी.पी.)

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (आर.ए.सी.पी.) द्वारा कृषि व्यवसाय सलाहकार मैसर्स ग्रांट थोर्नटन के माध्यम से अपने गांव में ही उद्योग लगाने के लिए नियमानुसार सहायता प्रदान की जा रही है :-

1. व्यापार या उद्योग लगाने तक हर तरह की तकनीकी एवं बैंक से ऋण लेने में पूरी सहायता
 2. सम्बन्धित व्यापार/उद्योग सरकार/एजेन्सी द्वारा देय सहायता से समन्वय स्थापित कराना।
- क्लस्टर क्षेत्र और आस-पास के किसान जो उद्योग या व्यवसाय लगाने में रुचि रखते हैं और व्यवसाय नहीं कर रहे हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
 - प्राप्त आवेदनों में से निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किसानों का चयन किया जायेगा।
 - उद्योग या व्यवसाय के लिए क्लस्टर क्षेत्रों में स्थित कृषि सम्बन्धी एन.जी.ओ. कार्यालय में आवेदन के लिए सम्पर्क करें। जयपुर में मोखमपुरा, कोटा: सांगोद, बूंदी: गुढ़ा, टोंक: देवली, बारां: पलायथा, झालावाड़: मनोहरथाना, चित्तौड़गढ़: ओराई, बस्सी, प्रतापगढ़: जाखम, अजमेर: पीसांगन, नागौर: लाडनू, सवाईमाधेपुर: बाँली, अलवर: बानसूर, धौलपुर: बारी, श्रीगंगानगर: जैड डिस्ट्रीब्यूटरी, बीकानेर: फूलासर, जैसलमेर: खेरुवाला, बांसवाड़ा: कुशलगढ़।
 - अंतिम तिथि : 20 अगस्त 2018 को शाम 5:00 बजे तक आवेदन जमा किये जा सकते हैं।
 - अधिक जानकारी के लिए फोन नम्बर 7893298274, 9752493122 पर सम्पर्क करें

ग्रांट थोर्नटन